जन सुनवाई की कार्यवाही

प्रस्तावित परियोजना मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 10.09.2025 को श्री भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह सुनवाई गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित "ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट" के लिए आयोजित की गई, जिसमें 1.0 मिलियन टीपीए पैलेट्स, 0.4 मिलियन टीपीए डीआरआई, 0.42 मिलियन टीपीए एमएस बिलेट्स, 0.4 मिलियन टीपीए टीएमटी रॉड्स का उत्पादन तथा 2.65 मिलियन टीपीए क्षमता का लौह अयस्क परिशोधन संयंत्र एवं 28 मेगावॉट क्षमता का कैप्टिव पावर उत्पादन (डब्ल्यूएचआरबी के माध्यम से) तथा 15 मेगावॉट (एएफबीसी के माध्यम से) शामिल है। यह परियोजना खसरा नंबर 1971, 1972, 1973, 1974, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2029/2230, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2389/2026, 2027, 2028/1, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 206, 2073 एवं 2076 गाँव गढ़ **टकनेत**, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान) में स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण, कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 25.07.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर पत्र क्रमांक 1042-49 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा प्रस्तावित मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड के "ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट" की जन सुनवाई प्रातः 11:30 बजे दिनांक 10.09.2025 कार्यालय राजीव सेवा केन्द्र, गढ तकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण :-

जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की सार्वजनिक सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्र "*राष्ट्रदूत*" और "*दैनिक भास्कर*" में दिनांक 05.08.2025 को प्रकाशित की गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियाँ आमजन से प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित अथवा मौखिक रूप में आमंत्रित किए गए।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तथा कार्यकारी सारांश हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियों में भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर कार्यालय; जिला कलेक्टर कार्यालय, सीकर; एडीएम कार्यालय, नीम का थाना, सीकर; एसडीएम कार्यालय, नीम का थाना, सीकर; डी.आई.सी. कार्यालय, सीकर; प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय, जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, सीकर में आमजन हेतु उपलब्ध कराई गई।

जन सुनवाई के सम्बन्ध में जन जागरूकता के लिए निर्धारित स्थलों पर आवश्यक बैनर लगाए गए तथा समीपवर्ती गाँवों में 08.09.2025 और 09.09.2025 को मुनादी करवाई गई।

जन सुनवाई की कार्यवाही दिनांक 10.09.2025 (बुधवार) को प्रातः 11:30 बजे राजीव गांधी सेवा केंद्र, गाँव गढ़ टकनेत, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के प्रांगण में श्री भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, जिसका संचालन श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB), सीकर द्वारा किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, आरएसपीसीबी, सीकर ने आमजन का स्वागत किया और एडीएम महोदय की अनुमति से कार्यवाही आरंभ की। उन्होंने आमजन को प्रस्तावित परियोजना एवं जन सुनवाई के महत्व से अवगत कराया तथा उपस्थित ग्रामीणों/आमजन को परियोजना से संबंधित अपनी आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियाँ मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया।

इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावक ने ग्रामीणों, एडीएम महोदय एवं क्षेत्रीय अधिकारी महोदया का स्वागत करते हुए आमजन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना से आसपास के ग्रामीणों का जीवन स्तर रोज़गार सृजन, आधारभूत

ढाँचे के विकास एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति के माध्यम से उन्नत होगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि परियोजना की समस्त गतिविधियाँ आसपास के ग्रामीणों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाएँगी।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, आरएसपीसीबी, सीकर ने पर्यावरण सलाहकार को आमजन के समक्ष परियोजना के पर्यावरणीय/आर्थिक/सामाजिक पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद, श्री अनिल अग्रवाल, एम/एस गौरांग एनवायरनमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (पर्यावरण सलाहकार) ने प्रस्तावित परियोजना के संबंध में आमजन के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

फिर, क्षेत्रीय अधिकारी, आरएसपीसीबी, सीकर ने आमजन से अपनी आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

जन सुनवाई के दौरान आमजन से प्राप्त मौखिक आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पता	सुझाव / आपत्ति / टिप्पणी	उत्तर
1	रतनलाल जांगिड़, गढ़ टकनेत	इन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई में केवल परियोजना के लाभों पर चर्चा हो रही है, जबकि संभावित हानियों पर कोई बात नहीं हो रही। उनके अनुसार, प्रस्तावित परियोजना के बोयलर से स्थानीय तापमान बढ़ सकता है, जिससे आस-पास के गाँव रहने योग्य नहीं रहेंगे और पहले से ही कम भूजल एवं सतही जल संसाधन सूख जाएँगे। उन्होंने क्षेत्र की बीयर फैक्ट्री का उदाहरण दिया जो अपशिष्ट छोड़कर और भूजल का अनियंत्रित दोहन करके समस्याएँ उत्पन्न कर रही है। इन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक जल स्रोत पर भी प्रश्न उठाया और कहा कि सीकर नगर परिषद का ट्रीटेड जल पहले ही यूरेनियम खनन परियोजना को आवंटित हो चुका है, इसलिए यह परियोजना भूजल निकालेगी जिससे स्थानीय लोग जल से वंचित हो जाएँगे। अंत में उन्होंने अनुरोध किया कि इतनी बड़ी भूमि एक उद्योगपति को न दी जाए बल्कि 200 छोटे व्यवसायों में बाँट दी जाए तो 200 और उद्योग लगेंगे जिससे अधिक रोजगार उत्पन्न होगा और स्थानीय समुदाय का बेहतर विकास सुनिश्चित होगा। हम इस परियोजना का पुरजोर विरोध करते है।	**पर्यावरण सलाहकार:** श्री अनिल अग्रवाल ने बताया कि सीकर नगर परिषद के साथ जल आश्वासन हेतु एमओयू हस्ताक्षरित है। इसकी प्रति कोई भी देख सकता है। जिसकी फोटोप्रति जन सुनवाई के दौरान उपलब्ध करवायी गयी। उन्होंने आश्वासन दिया कि संयंत्र परिसर से बाहर कोई अपशिष्ट जल नहीं छोड़ा जाएगा। सारा अपशिष्ट जल ईटीपी और एसटीपी में उपचारित कर पुनः उपयोग में लाया जाएगा।
2	महेश दूभर, गढ़ तकनेत	इन्होंने पूछा कि काली खेड़ा के ग्रामीणों पर परियोजना का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 100–125 मकान परियोजना स्थल में या उसके आसपास आते हैं, उनका आप क्या करेंगे। उन्होंने माँग कि की मुख्य द्वार ग्राम पंचायत गढ़ टकनेत की ओर होना चाहिए क्योंकि 80–85% भूमि उसी	**परियोजना प्रस्तावक:** कंपनी की ओर से श्री प्रवीण भाटी ने आश्वासन दिया कि संयंत्र की परियोजना सीमा के पास या भीतर मौजूद न्यूनतम संख्या के आवासीय लोग प्रभावित होंगे। इन्होने आगे कहा कि गेटों का स्थान सर्वेक्षण और समतलीकरण के बाद निर्धारित किया जाएगा। परियोजना

Daruta

		गाँव की है। उन्होंने कहा कि इससे गढ़ टकनेत के लोग रोजगार के प्राथमिक लाभार्थी बनेंगे। उन्होंने परियोजना का स्वागत किया और कहा कि यह ग्रामीणों की आजीविका और रोजगार को बढ़ाएगी। इन्होंने यह भी सुझाव दिया कि परियोजना प्रायोजक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना से गाँववासियों को कोई हानि न पहुँचे और स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ।	स्थल के चारों ओर कच्चे माल, तैयार माल, कोयला आदि के लिए कई गेट बनाये जायेंगे। जिससे संचालन सुचारू रहे और न्यूनतम असुविधा हो।
3	मुकेश नटवाड़िया, गढ़ टकनेत	इन्होंने परियोजना के प्रति अपनी कृतज्ञता और चिंता दोनों व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भले ही परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी, यह केवल तभी वास्तव में लाभकारी होगी जब गाँववासियों के स्वास्थ्य के साथ समझौता न किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परियोजना का संचालन सावधानीपूर्वक नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि काली खेड़ा गाँव के लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिए, जिनकी भूमि प्रस्तावित परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। इन्होंने सुझाव दिया कि पहली प्राथमिकता परियोजना स्थल में आने वाले गाँववासियों के विस्थापन से बचना होनी चाहिए। हालांकि, यदि यह संभव न हो, तो कंपनी को प्रत्येक व्यक्ति को प्लॉट और घर निर्माण के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना चाहिए। इन्होंने यह भी माँग की कि संयंत्र का मुख्य गेट गढ़ टकनेट गाँव की ओर रखा जाए। जल संबंधी चर्चा में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बहुत कम है और एक ही फसल होती है। किसान की जमीन गयी है उसे रोजगार तो मिलेगा क्या? कुछ आबादी जो प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में बसी हुई है उसका क्या करोगे। परियोजना की वजह से आन्दोलन करने की नोबत नहीं आये।	**परियोजना प्रायोजक:** श्री भाटी ने उत्तर दिया कि केवल उन प्रभावित लोगों का ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया जाएगा, जिनके लिए पुनर्वास के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। यह कार्य सरकारी नियमों के अनुसार R&R योजना के तहत किया जाएगा, और उन्हें लागू कानूनों के अनुसार उपयुक्त भूमि एवं मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

Dainta

4	अमित कुमार, गढ़ टकनेत	इन्होंने यह इंगित किया कि एक ओर आपने कहा कि गाँववासियों की कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी, वहीं दूसरी ओर आपने कहा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य किया जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) किया जाएगा, यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर जमीन काली खेड़ा का परियोजना के नक्शे में आ रहा है। इसका मुख्य गेट कलि खेडा की और होना चाहिए।	**परियोजना प्रस्तावकः** श्री भाटी ने उत्तर दिया कि यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि परियोजना से प्रभावित लोगों की संख्या न्यूनतम हो और उन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता न पड़े।
5	सुनील कुमार	इन्होने कहा कि आपके द्वारा प्रदान किए गए नक्शे के अनुसार, प्रस्तावित संयंत्र की सीमा के भीतर और आसपास काली खेड़ा गाँव के आवास/आबादी में आ रहे हैं। उन्हें हटाया जायेगा या नही, स्पष्ट करें। इन्होने यह भी पूछा कि कंपनी संयंत्र से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करेगी। इन्होने पूछा कि 200 बीघा जमीन पर पेड है उनका क्या करोगे, कितने पेड़ काटे जाएंगे और परियोजना प्रायोजक द्वारा अतिरिक्त वृक्षारोपण कितना किया जाएगा। इन्होने चिंता व्यक्त की कि केवल रोजगार के वादों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परियोजना के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, जैसे तापमान में वृद्धि, जिससे आसपास के क्षेत्र को नुकसान हो सकता है और तालाब तथा अन्य जल स्रोत सूख सकते हैं। इन्होने आगे कहा कि परियोजना स्थल में कई प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत मौजूद हैं (जो NAREGA योजना के तहत निर्मित किए गए हैं), जिन्हें प्रस्तावित परियोजना के अंदर आ रहे है उन्हें खो दिया जा सकता है। इन्होने पूछा कि कंपनी इन जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी, और यदि ये जल स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो पशु और जानवर पानी कहाँ पिएंगे। इन्होने यह भी बताया कि गाँववासियों की कृषि भूमि परियोजना स्थल के भीतर आती है और इन्होने सवाल उठाया कि परियोजना के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण करने के बाद, पास में स्थित किसानों को उनके खेतों तक पहुँचने के लिए मार्ग	**परियोजना प्रायोजक / पर्यावरण सलाहकारः** श्री भाटी ने उत्तर दिया कि परियोजना से प्रभावित लोगों की संख्या न्यूनतम सुनिश्चित करने और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। इन्होने यह भी कहा कि मौजूदा पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, बल्कि उन्हें परियोजना स्थल की सीमा और अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इन्होने यह भी कहा कि तालाब, जलाशय आदि को CSR/CER पहलों के तहत पास के क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर विकसित किया जाएगा। श्री अनिल अग्रवाल ने उत्तर दिया कि संयंत्र स्थल के भीतर लगभग 2,907 पेड़ मौजूद हैं, जिनमें से आवश्यक पेड़ों को सीमा और अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लगभग 2.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और संयंत्र की सीमा के साथ 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित की जाएगी।

Anita

		प्रदान करने की क्या व्यवस्था रखी गई है? कम्पनी द्वारा 2000 स्थानीय लोगो को रोजगार किस आधार पर दिए जायेगे।	
6	रतनलाल जांगिड़, गढ़ टकनेत	इन्होने कहा कि प्रस्तावित परियोजना के कारण गाँववासियों का अपने कृषि क्षेत्रों तक पहुँचने का रास्ता बंद हो जाएगा। इन्होने यह भी जोड़ा कि NREGA योजना के तहत बनाए गए कई तालाब और बांध, जो परियोजना स्थल के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके जल संसाधनों का क्या होगा और उनका संरक्षण व निगरानी कौन करेगा।	**परियोजना प्रायोजक / पर्यावरण सलाहकारः** श्री भाटी ने कहा कि गाँववासियों के कृषि क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान पहले से ही किए जा चुके हैं। इन्होने यह भी आश्वासन दिया कि भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन होने के बाद, गाँववासियों के लिए उपयुक्त पहुँच मार्ग छोड़े जाएंगे। श्री अनिल अग्रवाल ने उत्तर दिया कि CER/CSR प्रावधानों के तहत लगभग 9 करोड़ रुपये के बजट के साथ, तालाब निर्माण, स्कूलों का विकास, सड़कों और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी गतिविधियाँ सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार संचालित की जाएँगी, और गाँववासियों तथा ग्राम पंचायत द्वारा इन गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सकती है। **एडीएम सरः** इन्होने कहा कि तालाब विकास और अन्य मुद्दों के संबंध में उठाए गए बिंदुओं को इस सार्वजनिक सुनवाई की संयुक्त रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा एवं संबंधित फर्म को भी निर्देशित किया कि आमजन की सुविधा का ध्यान रखा जाये।
7	बुद्धि प्रकाश स्वामी, कालीखेड़ा वार्ड नं. 13 एवं अन्य लोग	इन्होने काली खेड़ा गाँव के लोगों की ओर से यह बात रखी कि रोजगार प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमि प्रस्तावित परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इन्होने परियोजना का विरोध किया और कहा कि केवल लगभग 200 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी भूमि से आमजन को वंचित करना उचित नहीं है। ये स्थानीय लोगो को रोजगार ना देकर बाहरी लोगो को रोजगार देंगे।	—
8	शंकर सिंह, काली खेड़ा	इन्होने परियोजना को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रस्तावित परियोजना काली खेड़ा गाँव को तहस-नहस कर देगी। इन्होने जोर देकर कहा कि किसी भी आवासीय क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इन्होने सुझाव दिया कि सरकार को हवाई अड्डे जैसे परियोजनाएँ लानी चाहिए या भूमि को RIICO को देना चाहिए, जिसे	—

Dnita

		गाँव वाले खुशी-खुशी स्वीकार करेंगे। काली खेड़ा गाँव परियोजना का पुरजोर विरोध करते है। इन्होने अनुरोध किया कि परियोजना के लिए कोई एनओसी न दिया जाए। इन्होने यह भी बताया कि क्षेत्र में भूजल स्तर पहले से ही लगभग 1200 फीट गहरा है, और इस्पात संयंत्र के स्थापित होने से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे जल संसाधन पूरी तरह सूख जाएंगे।	

इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB, सीकर आम जनता का उनके विचार/आपत्तियाँ व्यक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि सार्वजनिक सुनवाई का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देना आपत्तियों/सुझावों/टिप्पणियों को दर्ज कर उन्हें सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करना है। जनता द्वारा व्यक्त सभी मौखिक और लिखित बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं, जन सुनवाई का विवरण, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे। जन सुनवाई के दौरान प्रतावित परियोजना से सम्बंधित लिखित में सुझाव/आपत्तियां (कुल 09) प्राप्त हुई।

अंत में, क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB, सीकर ने सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद कहा एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM), नीम का थाना की अनुमति से सार्वजनिक जन सुनवाई समाप्त की गयी।

Anita 19/09/25

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), नीम का थाना, जिला सीकर

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स गीतान्जली स्टील प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नम्बर 1971,1972,1973,1974,2006, 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2017,2018,2029 / 2230,2021,2022,2023,2024,2025 ,2389 / 2026,2027,2028 / 1, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 206, 2073 एवं 2076 क्षेत्रफल 204.77 हेक्टेयर, निकट ग्राम गढटकनेत तहसील – श्रीमाधोपुर जिला सीकर में उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन पेलेट्स, 0.4 मिलियन टन डी.आर.आई, 0.42 मिलियन टन एम.एस.बीलेट्स और 0.4 मिलियन टन टीएमटी रिर्बास प्रति वर्ष 2.65 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के लौह अयस्क लाभकारी संयत्र के साथ एवं 28 मेगावॉट कैप्टिव विद्युत उत्पादन डब्ल्यू एचआरबी के माध्यम से एवं 15 मेगावॉट एफबीसी के माध्यम से खनन परियोजना में गीतान्जली स्टील प्राइवेट लिमिटेड, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 10.09.2025 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **10.09.2025 (बुधवार)** को **प्रातः 11:30 बजे**, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत गढटकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत गढटकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर एवं जिला सीकर।**

दिनांक :– 10.09.2025 **समय :– सुबह 11.30 बजे (बुधवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1	Sh. Bhagirath Samkh, ADM, NKT	[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB	Savita
3.	Ojasvi Karwasara, JEE, RSPCB	ojasvi [illegible]
4.	विनोद भरतोडिया	Vinod
5.	[illegible] Redun [illegible]	[signature]
6.	[illegible]	[signature]

	गजानन्द यादव	[illegible]
	सुनील कुमार	Sunil Kumar
	हंसराज गुर्जर	[illegible]
	अमित कुमार	[illegible]
	[illegible]	
	राहुल खण्डेला	[illegible]
	राकेश चौधरी	[illegible]
	आगरमल	[illegible]
	[illegible]	
	दशरथ कुमार स्वामी	
	मदनलाल वर्मा	
	नन्दलाल स्वामी	
	बनवारी लाल	
	नानगराम	
	सुरज्ञान सिंह	
	[illegible]	
	[illegible]	
	तेजसिंह	
	राजेश	
	[illegible]	

	महेश यादव	
	Sumit	
	[illegible]	
	[illegible]	
	महेश	
	अर्जुन	
	सीताराम	
	श्यामलाल	
	भोलाराम	
	किशन गिरी	
	भरत चन्द	
	महेश कुमार	
	[illegible]	
	सरदार मल	
	[illegible]	
	[illegible]	
	Kartikeyan	
	किशनसिंह	
	[illegible]	
	ओमप्रकाश सोनी	

	कमलेश कुमार	
	सरदार मल	
	राजेन्द्र वर्मा	
	राजेन्द्र वर्मा	
	रोहिताश	
	[illegible]	
	रामजीलाल	
	[illegible]	
	मंहिपाल	
	मनीराम	
	मुजीफ	

Attendance Sheet

	सुभाष स्वामी	सुभाष स्वामी
	रामसिंह	रामसिंह
	हजारीलाल	हजारीलाल
	रणजीत स्वामी	रणजीत स्वामी
	बिहारी लाल स्वामी	बिहारीलाल
	सुरेश स्वामी	सुरेशस्वामी
	अनिल योगी	अनिल
	संदीपसिंह	कुम्भाराम
	रामस्वरूप	विक्रम सिंह
	धनाराम	
	ओमप्रकाश योगी	
	हकिम मोहम्मद	हकिम मोहम्मद
	मोहनराम	मोहन
	परमजीत स्वामी	
	राकेश कुमार मीणा	[signature]
	प्रीतमराम	Rakesh meena
	विकास स्वामी	
	ओमी सोलाकिया	[signature] मालीराम
	विनोद	[signature]
	नन्दकिशोर	[signature]

	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	रतन सिंह	
	पूरण मल	
	रामचन्द्र	
	नितेश मीणा सुरेश मीणा	
	Sajjan	
	उदय सिंह दिलीप सिंह	
	राजेन्द्र रामप्रसाद	

सेवामें (1)

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण
मंडल सीकर महोदय
जिला सीकर राजस्थान

विषय -
ग्राम कालीखेड़ा की समस्याओं हेतु,

महोदय सविनय प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें स्टील प्लांट से होने वाली समस्त ग्रामीणों को होने वाली समस्याएं

(1) वायु प्रदूषण, - फैक्ट्री से निकलने वाला धुआँ (धूल)

(2) जल प्रदूषण, उत्पादन प्रक्रिया मे प्रयुक्त रसायन और अपशिष्ट से जल का प्रदूषण तथा जल के दोहन से ग्रामीणों मे पेयजल कि कमी.

(3) भूमी प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट और स्लेग भूमी कि गुणवत्ता को खराब करते है,

(4) शोर प्रदूषण, भारी मशीनो और उपकरणों के कारण आसपास के क्षेत्र मे शोर कि समस्या रहती है

* स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ :-

· फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन अणु और धूल के कणो से साँस की बीमारियाँ जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ो की बीमारियां आदि से आमजन प्रभावित होगा

· इसी फैक्ट्री से होने वाले रोगो मे शोर से सुनने की समस्या तथा आँखो की शक्ति कम होना तथा त्वचा रोग आदि शामिल है

* सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ :-

फैक्ट्री की वजह से दूर-दराज से आने वाले मजदूरो के द्वारा लूट-पाट, चोरी-चकारी की वजह से सामाजिक शांति और निजी जीवन मे सुरक्षा की हानी

* भूमि अधिग्रहण के चलते ग्रामीणो द्वारा पुनर्वास की समस्याएँ

पारिस्थितिकीय समस्याएँ :-

· पेड़-पौधों की कटाई व वहाँ रहने वाले जीव जन्तुओं पर बुरा असर

· पर्यावरण असंतुलन की वजह से क्षेत्र में उत्पन्न पारिस्थितिकीय समस्याएँ जिससे बारिश का ना होना और Acid Rain जैसी समस्याएँ

· गाँव की पुरानी सांस्कृतिक धरोहर जिनमें कुएँ बावड़ी, नदी-नाले व पशुओं के लिए गोचर भूमि व चारे की कमी

अतः समस्त कालीखेड़ा ग्रामीण वासी श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर से अनुरोध करता है तथा गीतांजली स्टील ट्रेडर्स लिमिटेड फैक्ट्री के निर्माण पर अपने मत रखकर विरोध प्रदर्शित करता है तथा आशा है की आयोग समस्त ग्रामीणो के आजीवन पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा

harsh vardhan singh

Sumer Singh

राजेन्द्र सिंह

हरि सिंह

पंकज शेखावत

सेवामें,

श्रीमान सरपंच / प्रशासक महोदय ग्राम पंचायत गढटकनेत

जिला सीकर राजस्थान

विषय :– प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग(लौह एव अयस्क) खनीज लाभकारीकरण ताप विधुत संयत्र परियोजना से पर्यावरण को होने वाले नुकसान बाबत।

महोदयं,

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार श्रीमान की सेवा में पेश है–

जो कि राजस्व ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाध ोपुर जिला सीकर में मैसर्स गीतांजली स्टील प्राईवेट लिमिटेड निकट ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में प्रस्तावित धातुकर्म उद ोग(लौह एव अयस्क) खनीज लाभकारीकरण ताप विधुत संयत्र परियोजना प्रस्तावित है जिसकी पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 10.09. 2025 को ग्राम पंचायत गढटकनेत में की जानी है जिसके लिये ग्रामीणो द्वारा निम्न सुझाव निम्न प्रकार है:–

1. उच्चं तापमान

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र का तापमान असामान्य हो जावेगा जिससे तापमान उच्च स्तर तक पहुच जावेगा जिससे आसपास रहने वाले सामान्य मानवो व जीव जन्तुओ पर अप्राकृतिक असर पड़ेगा और जन जीवन अस्त व्यस्त हो जावेगा ।

2. ध्वनी प्रदूषण

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र में लोह अयस्क को पिघलाने के काम में आने वाली मशीनो के चलने से काफी शोरगुल बढ जावेगा जिससे ध वनी प्रदूषण फैलने की सम्भावना बढ जावेगी इससे सामान्य मानवीकी में अनावश्यक बिमारिया बढ जावेगी

राम

अनिष स्वामी नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह
किशोर रतन सिंह हरि सिंह
रतन सिंह जितेन्द्र सिंह कैलाश स्वामी
उमेद सिंह दिलीप सिंह दीपक
जितेन्द्र सिंह शंकर सिंह सुरेन्द्र सिंह विक्रम
विक्रम सिंह

3. वन्य जीवो पर बुरा असर

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र मे तो उक्त क्षेत्र हमेशा से वन्य जीवो के लिये संरक्षित रहा है उक्त क्षेत्र में तेंदुए, बघेरा, नीलगाय, हीरण, लोमड़ी जंगली गाये, सर्प, धामण, पाटाघोरा, आदि स्वछन्द विचरण करते है तथा अनेको प्रकार के पक्षी मोर, तीतर, कबुतर, चिडिया भी पाई जाती है उनके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा और उनका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जावेगा।

4. पेड़ पौधो पर असर

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास का क्षेत्र जो सघन पेड़ो से संरक्षित है वह पेड़ खतरे में आ जावेंगे जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जावेगा। जिससे आस पास के क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा।

5. जल संकट

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास का क्षेत्र में जल संकट बढ जावेगा पुर्व में भी उक्त क्षेत्र डार्क जोन में अवस्थित है तथा उक्त परिक्षेत्र जिसमें प्लांट स्थापित किया जाना है वहां पर कई छोटे बड़े तालाब, जोहड़ बने हुये है जिसमें वन्य जीव व आसपास के पशु पालको पर बुरा असर पड़ेगा और इस क्षेत्र में पलायन की समस्या बढेगी।

6. अपराधीकरण को बढावा

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो रोजगार के लिये लोगो की संख्या बढेगी तो आपराधिक व नशा व्यापार, चोरी चकारी बढेगी व प्राकृतिक संसाधनो के अधिक दोहन होने से यहां के मूल निवासीयो पर बुरा असर पड़ेगा।

रामस्वरूप नन्दलाल स्वामी
सुनील सुरज्ञान सिंह
बिहारी लाल राजेश्वरी
जगदीश तेजसिंह
मोहनलाल ओमप्रकाश
भवानी सिंह गुमान सिंह

7. पशु पालन व खेती पर बुरा असर

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र में खेती पर बुरा असर पड़ेगा तथा यंहा के मूल निवासियो का मूल व्यवसाय खेती व पशुपालन ही है वह बन्द होने के कगार पर आ जावेगा तथा पशुओ की चराई के लिये आवश्यक क्षेत्र में जाना बन्द होने से आसपास के लोगो के पशुपालन पर बुरा असर पड़ेगा।

8. ग्रामीण जीवन लुप्त हो जावेगा

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र में का स्वस्थ ग्रामीण जीवन लुप्त हो जावेगा। ग्राम सुराणी, कालिखेड़ा, गढटकनेत, हरिपुरा पहले से ही अजीतगढ में अवस्थित बीयर एग्रो फेक्ट्री के अपशिष्ट से काफी परेशान हो रहा है इस कारण ग्रामीण जीवन खत्म होने जावेगा।

9. ग्राम कालिखेड़ा खत्म हो जावेगा

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत की जीन भूमियो में स्थापित किया जाना है उसमें कालिखेड़ा ग्राम कई सैकड़ो वर्षो से आबाद है पुर्व में भूमियो का कम्पनी को अलॉटमेन्ट करते समय कॉफी लापरवाही बरती गई है आबादी की भूमि को भी उक्त आवंटित भूमियो में गलत रूप से संलग्न कर दिया गया है तथा खेतो में जाने के रास्ते बन्द हो जावेंगे जिससे कालीखेड़ा गढटकनेत के लोग बरबाद हो जावेंगे। इसलिए उक्त कम्पनी को एन ओ सी नहीं जारी की जाये।

अत– उपरोक्त कारणो को देखते हुये उक्त प्रस्तावित मैसर्स गीतांजली स्टील प्राईवेट लिमिटेड निकट ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में प्रस्तावित धातुकर्म उधोग(लौह एव अयस्क) खनीज लाभकारीकरण ताप विधुत संयत्र परियोजना ग्राम गढटकनेत में स्थपित करने से यहां के आसपास का पर्यावरण दुषित हो जावेगा।

दिनांक 10.09.2025 समस्त ग्राम वासी/क्षेत्रवासी

स्थान गढटकनेत

जितेन्द्र सिंह
मैना स्वामी
मनीष
हरिराम
सुरेन्द्र सिंह
Mushan
किशोर
रणजीत सिंह
Pankaj Singh
[signatures]

सेवामें,

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर महोदय,
जिला सीकर राजस्थान

विषय :– प्रस्तावित धातुकर्म उधोग(लौह एव अयस्क) खनीज लाभकारीकरण ताप विधुत संयत्र परियोजना से पर्यावरण को होने वाले नुकसान बाबत।

महोदय,

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार श्रीमान की सेवा में पेश है–

जो कि राजस्व ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मैसर्स गीतांजली स्टील प्राईवेट लिमिटेड निकट ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग(लौह एव अयस्क) खनीज लाभकारीकरण ताप विधुत संयत्र परियोजना प्रस्तावित है जिसकी पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 10.09.2025 को ग्राम पंचायत गढटकनेत में की जानी है जिसके लिये ग्रामीणो द्वारा निम्न सुझाव निम्न प्रकार है:–

1. उच्च तापमान

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र का तापमान असामान्य हो जावेगा जिससे तापमान उच्च स्तर तक पहुच जावेगा जिससे आसपास रहने वाले सामान्य मानवो व जीव जन्तुओ पर अप्राकृतिक असर पड़ेगा और जन जीवन अस्त व्यस्त हो जावेगा ।

2. ध्वनी प्रदूषण

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र में लोह अयस्क को पिघलाने के काम में आने वाली मशीनो के चलने से काफी शोरगुल बढ जावेगा जिससे ध्वनी प्रदूषण फैलने की सम्भावना बढ जावेगी इससे सामान्य मानवीकी में अनावश्यक बिमारिया बढ जावेगी

3. वन्य जीवो पर बुरा असर

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र मे तो उक्त क्षेत्र हमेशा से वन्य जीवो के लिये संरक्षित रहा है उक्त क्षेत्र में तेंदुए, बघेरा, नीलगाय, हीरण, लोमड़ी जंगली गाये, सर्प, धामण, पाटाघोरा, आदि स्वछन्द विचरण करते है तथा अनेको प्रकार के पक्षी मोर, तीतर, कबुतर, चिडिया भी पाई जाती है उनके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा और उनका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जावेगा।

4. पेड़ पौधो पर असर

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास का क्षेत्र जो सघन पेड़ो से संरक्षित है वह पेड़ खतरे में आ जावेंगे जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जावेगा। जिससे आस पास के क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा।

5. जल संकट

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास का क्षेत्र में जल संकट बढ जावेगा पुर्व में भी उक्त क्षेत्र डार्क जोन में अवस्थित है तथा उक्त परिक्षेत्र जिसमें प्लांट स्थापित किया जाना है वहां पर कई छोटे बड़े तालाब, जोहड़ बने हुये है जिसमें वन्य जीव व आसपास के पशु पालको पर बुरा असर पड़ेगा और इस क्षेत्र में पलायन की समस्या बढेगी।

6. अपराधीकरण को बढावा

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो रोजगार के लिये लोगो की संख्या बढेगी तो आपराधिक व नशा व्यापार, चोरी चकारी बढेगी व प्राकृतिक संसाधनो के अधिक दोहन होने से यहां के मूल निवासीयो पर बुरा असर पड़ेगा।

विक्रम सिंह चौहान   [illegible]   नन्दलाल स्वामी
[illegible]   मुकेश स्वामी   सुरज्ञान सिंह
[illegible] स्वामी   राजेश
रामसिंह   जयसिंह   गुमानसिंह   राजेन्द्र सिंह
संदीप सिंह   तेजसिंह   परमजीत स्वामी
[illegible] स्वामी   [illegible]   प्रदीप स्वामी
रणजीत स्वामी   [illegible] स्वामी
[illegible]
मोहनलाल   [illegible] सिंह

7. पशु पालन व खेती पर बुरा असर

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र में खेती पर बुरा असर पड़ेगा तथा यंहा के मूल निवासियो का मूल व्यवसाय खेती व पशुपालन ही है वह बन्द होने के कगार पर आ जावेगा तथा पशुओ की चराई के लिये आवश्यक क्षेत्र में जाना बन्द होने से आसपास के लोगो के पशुपालन पर बुरा असर पड़ेगा।

8. ग्रामीण जीवन लुप्त हो जावेगा

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत में स्थापित किया जाता है तो आसपास के क्षेत्र में का स्वस्थ ग्रामीण जीवन लुप्त हो जावेगा। ग्राम सुराणी, कालिखेड़ा, गढटकनेत, हरिपुरा पहले से ही अजीतगढ में अवस्थित बीयर एग्रो फेक्ट्री के अपशिष्ट से काफी परेशान हो रहा है इस कारण ग्रामीण जीवन खत्म होने जावेगा।

9. ग्राम कालिखेड़ा खत्म हो जावेगा

यदि उक्त उपरलिखित प्लांट (लौह एव अयस्क) ग्राम गढटकनेत की जीन भूमियो में स्थापित किया जाना है उसमें कालिखेड़ा ग्राम कई सैकड़ो वर्षो से आबाद है पुर्व में भूमियो का कम्पनी को अलॉटमेन्ट करते समय कॉफी लापरवाही बरती गई है आबादी की भूमि को भी उक्त आवंटित भूमियो में गलत रूप से संलग्न कर दिया गया है तथा खेतो में जाने के रास्ते बन्द हो जावेंगे. जिससे कालीखेड़ा गढटकनेत के लोग बरबाद हो जावेंगे।

अत— उपरोक्त कारणो को देखते हुये उक्त प्रस्तावित मैसर्स गीतांजली स्टील प्राईवेट लिमिटेड निकट ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में प्रस्तावित धातुकर्म उधोग(लौह एव अयस्क) खनीज लाभकारीकरण ताप विधुत संयत्र परियोजना ग्राम गढटकनेत में स्थपित करने से यहां के आसपास का पर्यावरण दुषित हो जावेगा इसलिये उक्त परियोजना को आपके विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति नही दिये जाने की कृपा करे।

दिनांक 10.09.2025

स्थान गढटकनेत

समस्त ग्राम वासी/क्षेत्रवासी

पंकज सिंह

संजय सिंह

विनोद सिंह

Pankaj Singh

Vikram Singh

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,

सीकर (राज0)

विषय : **मैसर्स गीतांजली स्टील प्राइवेट लिमिटेड निकिट ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लोह व अलोह) खनिज लाभकारीकरण, ताप, विद्युत संयत्र परियोजना से पर्यावरण को होने वाली क्षति के संदर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में श्रीमान् जी से निवेदन है कि आयरन बेनिफिकेशन स्टील प्लांट मेसर्स गीतांजली स्टील प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम पंचायत गढटकनेत में जो भूमि आंवटित की गई है उस पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे है इस प्लांट को यहाँ स्थापित करने से पेडों की कटाई होगी जिससे पर्यावरण को क्षति होगी तथा उक्त प्लांट से निकलने वाला जहरीला धुंआ किसानों की फसलों, आसपास के क्षैत्र में रहने वाले लोगों को सांस लेने में समस्या, पर्यावरण को नुकसान पहँचायेगा, पानी का अत्यधिक दोहन होगा जिससे आम जनता को पीने के पानी की समस्या होगी।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर संज्ञान लेकर पर्यावरण क्षति को रोकने के संदर्भ में कार्य करने का कष्ट करें।

दिनांकः-10.09.2025

प्रार्थी

समस्त ग्राम जनता

सचिन उगार गिरिराज
दीपक योगी
योगेश कुमार
Vishal
उमेश वर्मा
Rahul

प्रधान
पंचायत समिति अजीतगढ़
जिला-सीकर (राज.)
मो. 9828315113

स्थाई निवास
ग्राम भानीपुरा, पोस्ट रायपुर जागीर
तह. श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर (राज.)
पिन - 332701

सत्यमेव जयते

एडवोकेट शंकर लाल यादव
Adv. Shankar Lal Yadav

क्र.सं. प.(नि.प्र)/2025/51 दिनांक 10.9.25

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिला सीकर, राजस्थान

विषय :- मैसर्स गीतांजली स्टील प्रा0 लि0 निकट ग्राम गढटकनेत की पर्यावरण स्वीकृति की लोकसुनवाई के संबंध में।

महोदय

निवेदन है कि मैसर्स गीतांजली स्टील प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लोह एवं अलोह) खनिज लाभकारिकरण ताप विद्युत संयंत्र परियोजना जो कि निकट ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थापित करने के लिए आपके माध्यम से आज दिनांक 10.09.2025 को पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना निकाली गई थी। श्रीमानजी उक्त सूचना से ग्राम गढटकनेत के आसपास के लोगो द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में भी श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जिला नीमकाथाना को पत्रांक 108 दिनांक 20.09.2024 द्वारा एवं माननीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्रांक 110 दिनांक 20.09.2024 द्वारा ज्ञापन दिया गया हैं। मूल ज्ञापन ही आपको भेजकर निवेदन है कि :-

01. राजकीय विद्यालय कालाखेडा को संयंत्र क्षेत्र से बाहर स्थापित करवाकर, जितना मूलभूत ढांचा विद्यालय परिसर का है उतना ही परिसर भूमि मय भवन राज्य सरकार एवं आमजन को समर्पित किया जावे ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित ना हो एवं उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पडे।
02. ग्रामीणों द्वारा पेश ज्ञापन में (मूल रूप से बसे हुए) प्रभावी आमजन को दुसरी जगह विधि अनुसार विस्थापित करवाया जावें।
03. स्टील प्लांट में कार्य करने वाले श्रमिकों में स्थानिय श्रमिकों का प्रतिशत भी तय किया जावे ताकि आसपास के क्षेत्र को रोजगार मिल सके एवं बेरोजगारी खत्म हो।
04. संयंत्र से निकलने वाले खतरनाक प्रदूषण के रोकथाम के समुचित उपाय करवाये जावे ताकि हमारे आसपास के लोगो का जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित ना हो।
05. संयंत्र से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ को हमारे आसपास की नदीयों (त्रिवेणी, माधोवेणी, साहिबी) का स्वरूप खत्म ना हो एवं प्रदूषण ना हो, का भी समुचित उपाय किया जावें।
06. संयंत्र के आसपास के वन क्षेत्र को संयंत्र से नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए वन क्षेत्र बचाने के समुचित उपाय किये जावें।
07. संयंत्र में प्रयोग में लेने वाले जल का संयंत्र की क्षमता के अनुसार जल प्रयोग तय किया जावे ताकि अवैध जलदोहन नहीं हो।
08. संयंत्र से निकलने वाले खतरनाक प्रदूषण से आसपास के क्षेत्रों एवं गांव में विद्यमान स्थलीय एवं जलीय वनस्पति एवं जीवजन्तुओ पर प्रतिकूल प्रभाव ना पडे। इसके लिए भी समुचित कार्ययोजना बनाई जावें।
09. कम्पनी सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आसपास के गांवों को गोद लेगी और जिला प्रशासन, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के परामर्श से सामुदायिक विकास गतिविधियां संचालित करेंगी।
10. ध्वनी गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, खतरनाक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, वर्षा जल संचयन, इकाई में अपशिष्ट जल/उपचारित जल के अधिकतम उपयोग, सामाजिक आर्थिक आदि प्रबंधन कार्य किये जावें।
11. आसपास के गांवों की मुख्य सडक, संपर्क सडक एवं आंतरिक सडकों को विकसित करने का कार्य किया जावें।

प्रतिलिपि-
1. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर

एडवोकेट शंकर लाल यादव
प्रधान
पंचायत समिति अजीतगढ़ (सीकर)

Gmail

RO RSPCB Sikar <rorpcb.sikar@gmail.com>

Document from Shankar Lal Yadav

1 message

Advocate. shankar lal yadav <slyadav002@gmail.com>
To: rorpcb.sikar@gmail.com

Wed, Sep 10, 2025 at 2:49 PM

New Doc 09-10-2025 14.39.pdf
1854K

सेवामे

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर राजस्थान

विषय:मेसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड निकट ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लोह व अलोंह) खनिज लाभकारीकरण,ताप,विधुत संयंत्र परियोजना से पर्यावरण को होने वाली क्षति के संदर्भ में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि आयरन बेनिफिकेशन स्टील प्लांट मेसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम पंचायत गढ़टकनेत में जो भूमि आवंटित की गई है उस पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पोधे है इस प्लांट को यहाँ स्थापित करने से पेडो की कटाई होगी जिससे पर्यावरण को क्षति होगी। रॉ मटेरियल को चार्ज करने के लिए पानी से फिल्टर किया जायेगा जिससे अत्यधिक मात्रा में पानी का दोहन होगा। रॉ मटेरियल को चार्ज करने के लिए 1350 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जायेगा जो ब्लॉक को हार्ड करेगा इससे आस पास के वातावरण में तापमान बढेगा। इस्पात निर्माण में जहरीली गेसों का उत्पन होना वायुमंडल प्रदूषण बढेगा। इस प्लांट से गढ़टकनेत व आस पास के परिक्षेत्र में आयरन चार्ज किये वेस्ट पानी से भूमि बंजर, तापमान में वृधि व पर्यावरण को अत्यधिक क्षति होगी आयरन ओरी प्रोसेस के दोरान डस्ट इत्यादि से क्षेत्र में स्वांस संबंधित बीमारियों का खतरा बढेगा।

अत: श्रीमान जी आपसे निवेदन है की उपरोक्त विषय पर संज्ञान लेकर पर्यावरण क्षति को रोकने के संदर्भ में कार्य करने का कष्ट करे।

धन्यवाद,

प्रार्थी

दिनांक:-10-09-2025

समस्त ग्राम जनता गढ़टकनेत

Sunil Kumar

सेवामें,

श्रीमान शंकर लाल यादव
प्रधान प. स. अजीतगढ़
त. श्रीमाधोपुर - सीकर

दिनांक 10/09/2025

इस ही श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जिला सीकर को प्रेषित करें।
[illegible] 10.9.25

विषय :- गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रदूषण होने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि अजीतगढ़ प. स. के ग्राम गढ़टकनेत के वार्ड न 13 कालीखेड़ा में स्टील प्लांट लगाया जा रहा है महोदय आपसे निवेदन है कि स्टील प्लांट में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण व कालीखेड़ा ग्राम के जनता के आवागमन व बसावट छिन-भिन्न होने की सम्भावना है व जल प्रदूषण व जल स्त्रोत सूखने की पूरी सम्भावना है अत पर पहले से पेयजल की गम्भीर समस्या आए दिन पानी के लिए आन्दोलन होते है और बाहर गावो से टैंकरो द्वारा पानी लाया जाता है। आज जनसुनवाई कार्यक्रम में गीतांजलि स्टील प्लांट प्रबन्धको द्वारा दी गई जानकारी गलत है उन्होंने कहा हम पानी सीकर से लायेंगे। सीकर का सीवरेज पानी पहले से खण्डेला रायल गांव पहले से पूरे किया प्लांट के उत्पादन में खर्च होगा। प्रबन्धक भ्रामक जानकारी दे रहे। महोदय अजीतगढ़ में बीयर फैक्ट्री की वजह से गढ़टकनेत गांव भी परेशान है क्योंकि [illegible] जिस समय बीयर फैक्ट्री ने NOC ली थी। तभी भी ऐसे ही झूठे वादे किये गये थे मगर आज तक बीयर फैक्ट्री ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जैसा की प्रबन्धक ने बताया की हम CR-

के पैसे [illegible] गांव में हॉस्पिटल, स्कूल, पानी की व्यवस्था में खर्च करेंगे लेकिन आजतक कहीं भी C R के पैसे खर्च नहीं किये।

अतः श्रीमान जी आपसे अनुरोध है कि प्रदूषण से गांव व आसपास की आबादी को बचाने का ध्यान रखते हुए आवश्यक कदम अपने स्तर पर उठाये। और उचित कार्यवाही करें।

धन्यवाद

रामलाल

ग्राम जनता गढ़खवेत

धनजीत

मुकेश

RAJESH

श्यामलाल

रामअवतार

रामनारायण

राधेश्याम

[illegible]

राजेन्द्र

स्वामी

बनारसी

सेवा में,

मूल ही श्रीमान सचिव अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जिला सीकर को प्रेषित करें।
[illegible] 10.9.25

श्रीमान प्रधान महोदय
पं. स. अजीतगढ़ (सीकर)

विषय: स्टील प्लान्ट से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से बचाव हेतु।

महोदय

निवेदन है कि अजीतगढ़ के पं.स. के ग्राम ग्राम पंचायत गढटकनेट के राजस्व ग्राम कालीखेड़ा में स्टील प्लान्ट लगाया जा रहा है। महोदय आपसे निवेदन है कि स्टील प्लान्ट से उत्पन्न होने वाली प्रदूषण से अजीतगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बीमारियों के प्रकोप बढ़ेगा साथ ही लोगों को परेशानी होगी। और महोदय आपसे अनुरोध है आपके संज्ञान में भी होगा अजीतगढ़ क्षेत्र में पहले भी एक बीयर फैक्ट्री लगाई गई थी फैक्ट्री द्वारा जिस समय फैक्ट्री को फैक्ट्री लगाने कि N.O.C. कि जरूरत पड़ी तो अधिकृत फैक्ट्री वाला ने प्रदूषण नहीं होने देने कि एवं प्रदूषण रोकथाम उपाय करने के बारे में कहते हुए N.O.C प्राप्त कर ली गई लेकिन आज अजीतगढ़ क्षेत्र के आस पास के क्षेत्र कि बीयर फैक्ट्री कि वजह से हालत खराब आम जन का सांस लेना दूभर हो रहा!

अतः श्रीमान जी आपसे अनुरोध है कि प्रदूषण बचाने व पर्यावरण उचित नहीं है एवं प्रदूषण से आमजन को कोई परेशानी नहीं हो बल्कि सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए।

एवं अंकित प्रकरण से सम्बन्धित उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए N.O.C जारी करने की कृपा करें।

Manish गोपाल

रामवतार Rakesh Mohan गिरधारी

[illegible] श्रीराम जयराम

Lokesh Ramkumar

(9)

सेवामे

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
जिला कलेक्टर कार्यालय
सीकर राजस्थान

विषय:मेसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड निकट ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लोह व अलोंह) खनिज लाभकारीकरण,ताप,विधुत संयंत्र परियोजना से पर्यावरण को होने वाली क्षति के संदर्भ में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि आयरन बेनिफिकेशन स्टील प्लांट मेसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम पंचायत गढ़टकनेत में जो भूमि आवंटित की गई है उस पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पोधे है इस प्लांट को यहाँ स्थापित करने से पेडो की कटाई होगी जिससे पर्यावरण को क्षति होगी। रॉ मटेरियल को चार्ज करने के लिए पानी से फिल्टर किया जायेगा जिससे अत्यधिक मात्रा में पानी का दोहन होगा। रॉ मटेरियल को चार्ज करने के लिए 1350 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जायेगा जो ब्लॉक को हार्ड करेगा इससे आस पास के वातावरण में तापमान बढेगा। इस्पात निर्माण में जहरीली गेसों का उत्पन होना वायुमंडल प्रदूषण बढेगा। इस प्लांट से गढ़टकनेत व आस पास के परिक्षेत्र में आयरन चार्ज किये वेस्ट पानी से भूमि बंजर, तापमान में वृधि व पर्यावरण को अत्यधिक क्षति होगी आयरन ओरी प्रोसेस के दोरान डस्ट इत्यादि से क्षेत्र में स्वांस संबंधित बीमारियों का खतरा बढेगा।

अत: श्रीमान जी आपसे निवेदन है की उपरोक्त विषय पर संज्ञान लेकर पर्यावरण क्षति को रोकने के संदर्भ में कार्य करने का कष्ट करे।

धन्यवाद,

प्रार्थी

दिनांक:-10-09-2025

समस्त ग्राम जनता गढ़टकनेत

Hus
Mukesh
Sunil Kumar
Pawan Vikash

Gmail

RO RSPCB Sikar <rorpcb.sikar@gmail.com>

ग्राम गढटकनेत श्रीमाधोपुर सीकर में गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड ग्रीनफील इस्पात संयंत्र परियोजना के संबंध में भविष्य में होने वाली आपदाओं के संबंध में सुचनार्थ

1 message

Kishan Singh <cscks2526@gmail.com> Sat, Sep 13, 2025 at 7:18 PM
To: rorpcb.sikar@gmail.com, Poonam Kumari <poonamkumari229@gmail.com>, bulkesh choudhary <bulkeshbright10@gmail.com>, bhagchandyadav09@gmail.com, darasingh@live.com, avinashdhaka06@gmail.com, sandeepkhichar94@gmail.com3, aashishmudgaljra@gmail.com, its.rspcb@gmail.com, puneet.cpcb@gov.in, ccb.cpcb@nic.in

सुचनार्थः-
माननीय अधिकारी गण आपको यह प्रार्थना सुचनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इस परियोजना के लिए जिस प्रकार से भूमि की मोका स्थिति की जांच किये बगैर आरक्षित किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि यह अधिकारीयों की मिली भगत से ही हुआ है

---

2 attachments

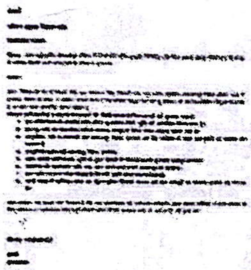

Screenshot_20250910-221306.Docs.png
221K

गढटकनेत परियोजना .pdf
61K

सेवायें

श्रीमान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड

राजस्थान (भारत)

विषय - ग्राम गढटकनेत श्रीमाधोपुर सीकर में गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड ग्रीनफील इस्पात संयंत्र परियोजना के संबंध में भविष्य में होने वाली आपदाओं के संबंध में सुचनार्थ

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं किशन सिंह s/o जगमाल सिंह निवासी गांव गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर आप से उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराने के लिए यह प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमान जी में निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।
श्रीमान अधिकारीयों व कंपनी संचालकों कि मिलीं भगत से निम्न तथ्यों को छुपाया गया है

1. इस परियोजना के अंतर्गत बगैर मोका मुआयना किये भूमि को आरक्षित किया गया है ।
2. इस भू-भाग पर प्राकृतिक नदी व तालाब मोजूद है जिन्हें नज़र अंदाज़ किया गया है।
3. प्राकृतिक नदी व तालाबो को अवरूद्ध किया जायेगा जो कि भविष्य में भारी जन हानि का कारण बन सकता है
4. प्राकृतिक बहाव को अवरूद्ध किया जायेगा।
5. आम जनता वर्षों से इस भूमि के कुछ हिस्सों में निवास करती हैं जिसे खदेड़ा जायेगा।
6. ग्रामीणो की खातेदारी भूमि तक आने जाने वाले रास्ते अवरूद्ध हो जायेगा।
7. इस भूमि पर वन्य जीव मोजूद है जिनकी हानि होना स्वाभाविक है।
8. भारी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन होगा जिससे जनता को जल संकटों का सामना करना पड़ सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करना भविष्य में आम जनता के लिए समस्या का कारण बन सकता है श्रीमान मौका रिपॉट बनाकर जांच के आदेश देने की कृपा करे

दिनांक 10/09/2025

प्रार्थी
जनसेवक

डॉलर की तेजी से 37.310 डॉलर प्रति आउंस पर ट्रेड कर रही थी।

सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी, जयपुर के भाव : चांदी (999) 114.7, चांदी रिफाइनरी 114.2 रुपए प्रति ग्राम। सोना स्टैंडर्ड 10,240 रुपए, सोना जेवराती 9,550 तथा वापसी 9,250 रुपए प्रति ग्राम।

बिजनेस ब्रीफ

नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का आईपीओ आज खुलेगा

मुंबई | नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का 4,800 करोड़ रुपए आईपीओ 5 अगस्त को खुलेगा और 7 को बंद होगा। इसके लिए प्राइजबैंड 95 से 100 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। निवेशक न्यूनतम 15,000 रुपए के शेयर के लिए बिड कर सकेंगे। सत्व समूह के एमडी विजय अग्रवाल ने कहा कि आरईआईटी नियमों के अनुसार इस इश्यू का 75 फीसदी से अधिक आनुपातिक आधार पर संस्थागत निवेशकों को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

जीएचवी को राणा समूह से 2645 करोड़ का प्रोजेक्ट

मुंबई | जीएचवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को राणा एग्जिम के साथ समझौते के तहत रास अल खैमाह, यूएई से ईपीसी के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। यह प्रोजेक्ट लगभग 2,645 करोड़ रुपए का है। ग्रुप चेयरमैन जाहिद विजापुरा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 24 माह में पूरा होने की उम्मीद है। इसमें अत्याधुनिक भवनों का निर्माण शामिल है। उधर, कंपनी की बोर्ड बैठक में 3:2 के अनुपात में बोनस इश्यू और 2:1 के अनुपात में स्टॉक स्पिलिट की मंजूरी दी गई है।

एडब्लूएस की सॉफ्टवेयर डवलप करने की नई विधि पेश

नई दिल्ली | एडब्लूएस ने जनरेटिव एआई का उपयोग कर सॉफ्टवेयर डवलप करने की नई विधि पेश की है। बेंगलुरु में एडब्लूएस डेवस्फेयर ईवेंट में इसका अनावरण किया गया। इसको एजेंटिक एआई के वीपी स्वामी शिवसुब्रमण्यम द्वारा पेश किया गया। उन्होंने एडब्लूएस एआई नेटिव बिल्डर्स कम्युनिटी भी लॉन्च की। यह टेक्नोलॉजी लीडर्स का एक पीयर-टू-पीयर नेटवर्क है। इस एआई-नेटिव पद्धति का उपयोग कोई भी कर सकता है।

वीवो टी सीरीज पोर्टफोलियो में नया स्मार्टफोन शामिल

नई दिल्ली | वीवो इंडिया ने टी सीरीज पोर्टफोलियो में नया स्मार्टफोन वीवो टी4आर 5जी लॉन्च किया है। यह सबसे स्लिमेस्ट क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन1 है। इसको एडवेंचर पसंद करने वाले युवाओं की जरूरत को ध्यान में रख कर डिजायन किया गया है।

अभी भी बनी हुई हैं। समग्र बाजार में तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.40% और स्मॉलकैप 1.27% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इनका प्रदर्शन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स से बेहतर रहा। मेटल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1% से अधिक की तेजी रही। हालांकि एफएमसीजी और हेल्थकेयर सेक्टर में मुनाफावसूली देखने को मिली। आईटी, बैंकिंग, फार्मा और ऑयल-गैस इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सपोर्ट है। 25,000–25,050 को लांघना बड़ी चुनौती बनी हुई है।

प्रमोटरों ने 55 हजार करोड़ के शेयर बेचे : जून तिमाही में निजी प्रमोटरों ने करीब 54,732 करोड़ के शेयर बेचे, जिससे लिस्टेड कंपनियों में उनकी कुल हिस्सेदारी घटकर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। प्राइम डेटाबेस की रिपोर्ट के अनुसार, जून तिमाही की समाप्ति पर निजी प्रमोटरों की हिस्सेदारी 40.58% रह गई, जो सितंबर 2017 के 40.19% के बाद का सबसे निचला स्तर है।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः- मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना जोकि, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहमील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज़ पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित मंक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी मारांश) एवं संस्तिप कार्यपालक मार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः-
   i. जिला कलक्टर, सीकर।
   ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
   iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
   iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
   v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
   vi. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   vii. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
   viii. ग्राम पंचायत, गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   ix. राजीव गाँधी मेसेवा केंद्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा मंख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एमएमओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 25.07.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.09.2025 (बुधवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषंण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

"CareEd
Compan

Sr.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Notes:
1. The above r
2. Key Standal

Total Inco
Net Profit
Net Profit

3. The above is
regulations 3
standalone a
(www.bseindi
scanning the
4. For the other
(www.bseindi

Place: Beawar
Date: 4th August,
For details e-mail

ी भीड़ जमा हो गई।

देखते लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। महिला के मौत की खबर सुनते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मार्ग को जाम कर मृत महिला के शव को लेकर धरने पर बैठ गए व क्रेशर व डंपर मालिक को मौके पर बुलाने व क्षेत्र में इन वाहनों की वजह से घटित हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में दुर्घटना करने वाले डंपर को कब्जे में ले लिया गया है, डंपर चालक को पकड़ने के लिये नकाबन्दी भी करवाई गई है। आगे की कारवाई की जा रही है। पावटा तहसीलदार संजय खेदड व प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह ने बताया कि डंपर चालक पर कठोर कार्रवाई व क्रशर व डंपर मालिक द्वारा मुआवजा देने के आश्वासन के बाद चार घंटे चल रहे धरने को समाप्त कर परिजन व ग्रामीण शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हुए।

ा पोल गिरने र्ी की मौत

पड़े बिजली के पोल आ गिरा तभी पोल टूटकर अबरार अहमद के सिर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट गया। जिसे परिजनों और मोहल्लेवासियों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराकर घटना में बिजली निगम की लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां परिजनों ने मुआवजा देने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ाड़ नगर स्तार

पर लिखकर परिवादी को बताया, परन्तु परिवादी ने सभापति से कहा कि मै 30 हजार रूपये ही दूंगा। इस पर सभापति ने आकाश कनिष्ट सहायक से मिलने के लिये कहा। परिवादी आरोपी आकाश कलोसिया से मिला तो उसने कहा कि मेरे पास सभापति का कॉल आया था, उन्होंने 40 हजार रूपये की कहा है, मैं सभापति संजय शुक्ला से पूछकर उनके बताये अनुसार व्यक्ति को रूपये दिलवाऊंगा। रिश्वत की मांग का सत्यापंन होने के पश्चात एसीबी झालावाड़ द्वारा सोमवार को ट्रेप कार्यवाही कर संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ के बताये अनुसार आकाश कलोसिया कनिष्ठ सहायक ने अजय कुमार मारवाड़ा टैन्ट हाउस को 30 तीस हजार रूपये रिश्वत राशि दिलवाई, जिस पर अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के घर की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।

विज्ञप्ति

दिनांक 28.07.2025

आयोग के वि.सं. 09/2024-25 दिनांक 05.08.2024 द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASSISTANT STATISTICAL OFFICER) के कुल 43 (गैर अनुसूचित क्षेत्र-31 एवं अनुसूचित क्षेत्र 12) पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदो की संख्या मे 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप उक्त पदो हेतु दिनांक 30.07.2025 से दिनांक 13.08.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किये जाते है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ.(SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) मे उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। विभाग से प्राप्त संशोधित वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य सूचना के संबंध में आयोग की वेब-साईट पर जारी शुद्धि पत्र संख्या 6/2025-26 का अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं।

DIPR/C/10916/2025 (रामनिवास मेहता) सचिव

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः- मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना जोकि, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहमील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित मंक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी मारांश) एवं संस्तिप कार्यपालक मार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः-
   - i. जिला कलक्टर, सीकर।
   - ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
   - iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
   - iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
   - v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
   - vi. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   - vii. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
   - viii. ग्राम पंचायत, गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   - ix. राजीव गाँधी मेसेवा केंद्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   - x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा मंख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एमएमओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   - xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 25.07.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.09.2025 (बुधवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर